

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,  
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक -

**विषय :-** NHAI के पक्ष में NH-2 औरंगाबाद से बरवाअड़डा तक 6 लेन चौड़ीकरण हेतु 51.7665 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर कार्यानुमति देने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक परियोजना हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या-11-306/2014-FC (pt.) दिनांक-28.08.2015 के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-362 दिनांक-21.03.2016 से प्राप्त कार्यानुमति प्रस्ताव की समीक्षोपरान्त विषयक परियोजना में सन्निहित अधिसूचित वन भूमि पर एक वर्ष की अवधि के लिए कार्यानुमति प्रदान की जाती है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(सुनील कुमार)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- वन भूमि-19/2013

व0प0, राँची दिनांक-

प्रतिलिपि-सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली- 110003./अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची, बंगला नं0-A-2, श्यामली कॉलोनी, राँची-834002 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- वन भूमि-19/2013


व0प0, राँची दिनांक-

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/परियोजना निदेशक, NHAI, PIU, NHAI Complex, काण्ड्ला, पोस्ट-भीतीया, थाना-गोविन्दपुर, धनबाद-828109 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापक- वन भूमि-19/2013 1630 व0प0, राँची दिनांक- 21/03/2016  
प्रतिलिपि-वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन अंचल, राँची को विभागीय वेबसाईट  
"forest.jharkhand.gov.in" पर Upload करने हेतु प्रेषित।

  
सरकार के उप सचिव